कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

आदेश

क्रमांक / 185 / रीडर / जि0दण्डा0 / 2022 कोण्डागांव दिनांक 15/01/2022

जिले में कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोण्डागांव निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ:–

1. जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान तथा इनमें अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के आश्रम / छात्रावास, आँगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी एवं कोचिंग संस्थान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। इन कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जाये। कोविड वैक्सीनेशन हेतु 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईड लाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीनेशन किया जायेगा।

2. समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। उपस्थिति के संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा रोस्टर तैयार किया जायेगा। कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों के अलावा शेष कर्मचारी Work From Home पद्धति से कार्य करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। समस्त अधिकारी / कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं सभी कर्मचारी मोबाईल के माध्यम से अपने प्रभारी अधिकारी के संपर्क में रहेंगे। कार्यालय में उपस्थित अधिकारी / कर्मचारी अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सैनेटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी अधिकारी / कर्मचारी को कोविड–19 के दोनो टीका लगवाना अनिवार्य होगा।

3. समस्त शासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु सभी कार्यालय प्रमुख आम जनता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को कार्यालय के बाहर लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं प्राप्त आवेदन पत्रों का समयावधि पर निराकरण करें, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

4. समस्त निजी संस्थाएं एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे :– बैंक, डाकघर, बीमा, फायनेंस कंपनी इत्यादि में भी न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार Work From Home पद्धति से कार्य कराया जाये। यह आदेशित किया जाता है कि इन संस्थानों में आगंतुकों के लिए यथासंभव टेंट एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, किसी भी स्थिति में भीड़–भाड़ न हो एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन कराया जाये।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

5. सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायिक संस्थानों में कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति के साथ–साथ समस्त कर्मचारियों को तथा आगंतुक ग्राहकों को फेस मास्क, सैनेटाईजर एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

6. जिले के समस्त साप्ताहिक हाट–बाजार एवं डेली मार्केट में दुकान/पसरा लगाने की व्यवस्था फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ की जावे। किसी भी स्थिति में इन स्थानों पर भीड़–भाड़ न हो इसकी सतत् निगरानी नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित की जाये।

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि जिले में चिकित्सा सेवाएं, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन सेवाएं, कानून व्यवस्था एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाएं निरंतर संचालित रहेंगी तथा उक्त सेवाओं में Work From Home पद्धति लागू नहीं होगा।

आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

पृ. क्रमांक /185A/ रीडर/जि0दण्डा0/2022 कोण्डागांव दिनांक 15/01/2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग (जगदलपुर) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व थाना प्रभारी जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सहायक संचालक जनसम्पर्क जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. समस्त कार्यालय प्रमुख..जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व संबंधितों ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी * जिला कोण्डागांव (छ.ग.) *